

परिपत्रांक /अधि० ०२-१९६(२) रिवा०/ दिनांक: लखनऊ फरवरी १९, २०१८

- समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहायिका, उ० प्र०।
- समस्त सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला सहायक बैंक लि०, उ० प्र०।

विषय:- पैक्स में व्यय और मानव शक्ति भानदण्ड(मानव संसाधन नीति) के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्यालय परिपत्रांक सी-११/अधि०२-१९६(२) रिवाइवल एकांक-मानव संसाधन दिनांक २५.०५.२०१६ एवं सी-१०६/अधि०२-१९६(२) दिनांक ०८.१२.२०१४ का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा पैक्स में व्यय और मानव शक्ति भानदण्ड(मानव संसाधन नीति) के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। जनपदों से प्राप्त संदर्भों के क्रम में आवश्यक विचारोपरान्त निर्गत दिशा-निर्देश में निम्न प्रकार संशोधन किये जाते हैं:-

१-परिपत्र के प्रस्तर ५ में निर्धारित शैक्षिक योग्यता को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है:-

क-लेखाकार/लिपिक/कैशियर/विक्रेता के पद हेतु विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री एवं कम्प्यूटर में C++ की अर्हता। लेखाकार पद हेतु गोकर्णगो डिग्री धारकों को अर्हता प्रदान की जाय।

२-परिपत्र के प्रस्तर ६ में भर्ती के सम्बन्ध में उल्लिखित स्टाफिंग पैटर्न को निम्नवत संशोधित किया जाता है-

क्रमांक	नाम/स्वीकृत पद	संख्या	(व्ययसाय लागू ₹०० में)	
			समिति द्वारा किया गया व्ययसाय	80 से ऊपर
			०-८०	८० से ऊपर
१	लेखाकार		१	१
२	लिपिक/विक्रेता/रोकडिया		-	१
३	कार्यालय सहायक		१	१
	योग		२	३

कार्यालय सहायक को आउटसोर्सिंग के माध्यम से कम्प्यूटर में CCC प्रमाण पत्र रखने वाले अभ्यर्थी को ही रखा जाय। समितियों में उपरोक्तानुसार मानव संसाधन का

०२/D.T.C.
२०/२/१८
आर. डी. अ. अ. अ.

सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक (सहायिका)
२०/२/१८

S. का (SNP)
२०/२/१८

Q

आकलन करते हुए अधिक (सरप्लस) स्टाफ को समायोजित करते हुए रिक्तियों की सूचना प्रेषित किया जाय।

उपर्युक्त सशोधन के अतिरिक्त अन्य प्राविधान परिपत्र सं० सी-106 दिनांक 08.12.2014 एवं सी-11 दिनांक 25.05.2016 के यथावत लागू रहेंगे।

(नरेन्द्र कुमार सिंह)
आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ०प्र०,
लखनऊ।

- परिपत्र सं० सी-18 / अधि० 02-196(2) रिवा० / दिनांक: उक्त।
प्रतिलिपि: - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- 1- समस्त उप/संयुक्त आयुक्त एवं उप/संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र०
 - 2- समस्त प्रबन्ध निदेशक, शीर्ष सहकारी संस्थायें, उ०प्र०।
 - 3- समस्त अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक/योजनाधिकारी, सहकारिता, लखनऊ।
 - 4- अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक(कम्प्यूटर), सहकारिता, मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे वेबसाइट पर अपलोड कराने तथा समस्त अधिकारियों को ई-मेल कराने का कष्ट करें।
 - 5- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियों एवं पंचायतें, उ०प्र०, लखनऊ।
 - 6- महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक एवं क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विंघन खण्ड, गौमतीनगर, लखनऊ।
 - 7- सचिव, उ०प्र० सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल, लखनऊ।
 - 8- सचिव, सहकारिता, उ०प्र०, शासन, लखनऊ।
 - 9- अपर मुख्य सचिव, सहकारिता, उ०प्र०, शासन, लखनऊ।

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ०प्र०,
लखनऊ।